



अभिलेख उपस्थापित।

23 विवेक कुमार सिंह पिता स्व० राम लखन सिंह, निवास स्थान कानी बाजार मुनका बगीचा, हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कदमा-1, थाना नं०-142, खाता संख्या-81, प्लॉट संख्या-115, रकबा 0.04 एकड़ (04 डिसिमिल) (चार डिसिमिल) भूमि संध्या कुमारी पिता नरेश राम, निवास स्थान पुरना ईचाक उर्फ पुरनाडीह, थाना-ईचाक, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-364/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 2002/रा० दिनांक 12.06.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1920 दिनांक 03.10.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

विक्रेता एवं क्रेता पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत है, जो सी०एन०टी० से आच्छादित है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि का किरम रैयती है। खतियानी रैयत रामा कहार वगै० हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकबा 1.00 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकबा 0.08 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-61/XI पर विवेक कुमार सिंह के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत है। आवेदक स्वयं जमाबंदी रैयत हैं। आवेदक द्वारा धारित कुल रकबा 0.08 एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् रकबा 0.04 एकड़ के अलावे रकबा 0.04 एकड़ भूमि बचती है एवं मौजा-हजारी के खाता संख्या-215 में मसोमात तेतरी के नाम से रकबा 0.04 एकड़ बचती है, जो आवेदक की परदादी हैं। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधियहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4। से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आ. कार. दिप्पणी
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में विवेक कुमार सिंह पिता स्व० राम लखन सिंह, निवास स्थान कानी बाजार मुनका बगीचा, हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कदमा-1, थाना नं०-142, खाता संख्या-81, प्लॉट संख्या-115, रकबा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि संध्या कुमारी पिता नरेश राम, निवास स्थान पुरना ईचाक उर्फ पुरनाडीह, थाना-ईचाक, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>अपर समाहत्ती, हजारीबाग।</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>अपर समाहत्ती, हजारीबाग।</p> </div> </div>	